न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

श्रीमती लीला .... बनाम .... ताराचन्द आदि ....

किस्म मुकदमा .... विविध .... मु. नं०........ वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा पत्र	
7-6-21	बाजदायरी आवेदन दर्ज रजिस्टर हो। आवेदन पर वकील प्रार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता के कथनो से सन्तुष्ट होने के उपरान्त एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये एवं न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी आवेदन स्वीकार किया जाता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर बाजदायरी आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 114/2004 बउनवानी लीला देवी बनाम ताराचन्द आदि में पारित अदम हाजरी अदम पैरवी के आदेश दिनांक 21.03.2017 को निरस्त किया जाता है। अपील पुन दर्ज कर नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमिल दाखिल दफतर हों। (हस्ताक्षर) (राजवीर सिंह चौधरी) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर	